



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4167]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2019/पौष 6, 1941

No. 4167]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2019/PAUSHA 6, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2019

का. आ. 4668(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद जिले में संख्या.361 के कि.मी. 0.000 से कि.मी.28.000 तक (तुलजापुर औसा खंड) जिस में उसके बाईपास का निर्माण एवं पुनःसरेखण भी समीलित है का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपजिल्हाधिकारी (मांजरा प्रकल्प) तथा भूमी अर्जन अधिकारी उस्मानाबाद को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी

आदेश अंतिम होगा इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 361(तुलजापुर औसा खंड) कि.मी. 0.000 से कि.मी.28.000 तक (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि) जिसमें उसके बाईपास का निर्माण एवं पुनःसरेखण भी समीलित है लिये भू-अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: उस्मानाबाद			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: तुलजापुर					
गांव का नाम: तुलजापुर					
1	101	निजी	कृषि	0.0060000(हेक्टेयर)	0.0060000
2	102	सरकारी	अकृषि	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
3	102	निजी	कृषि	0.0270000(हेक्टेयर)	0.0270000
4	103	निजी	कृषि	0.0068000(हेक्टेयर)	0.0068000
5	103	निजी	कृषि	0.0052000(हेक्टेयर)	0.0052000
कुल				0.1150	0.1150

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP/LA/23011/1/14/3A6]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2019

S.O. 4668(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3(A) of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 361 in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 28.000 Km. (Tuljapur-Ausa Section) in the District of Osmanabad in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority. Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Deputy Collector, (Manjra Project) & Land Acquisition Officer, Osmanabad in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the

objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km.0.000 to Km 28.000 Km Tuljapur-Ausa Section of the National Highway No.NH-361 in District Osmanabad in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA		District: OSMANABAD			
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Tuljapur					
Village: Tuljapur					
1	101	Private	Agriculture	0.0060000(Hectare)	0.0060000
2	102	Government	Non Agriculture	0.0700000(Hectare)	0.0700000
3	102	Private()	Agriculture	0.0270000(Hectare)	0.0270000
4	103	Private	Agriculture	0.0068000(Hectare)	0.0068000
5	103	Private	Agriculture	0.0052000(Hectare)	0.0052000
Total				0.1150	0.1150

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/23011/1/14/3A6]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.